



## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- सी.आर.ओ./राआमं./2019-20/346,

दिनांक : 02.03.2020.

### :- कार्यालय आदेश :-

राजस्थान आवासन मण्डल की 240वीं बैठक दिनांक 17.01.2020 के बिन्दु संख्या 240.15 पर प्रेषित प्रस्ताव एवं उस पर लिये गये निर्णय की पालना में जारी आदेश क्रमांक सी.आर.ओ./राआमं./2019-20/पी.एस.एफ.ए.-202 दिनांक 31.01.2020 में प्राप्त बिड़ों को वाणिज्यिक भूखण्डों की आरक्षित दर + 15 प्रतिशत स्थानीय निकाय को देय राशि प्राप्त होने पर ही बिड स्वीकृति किये जाने का प्रावधान किया गया था।

राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में जारी हुये आदेश दिनांक 07.01.2020 में जारी निर्देश "न्यूनतम बोली से अधिक बोली आने पर भूखण्ड के नीलामी को अस्वीकार नहीं किया जावे", की पालना में मण्डल की 241वीं बैठक दिनांक 19.02.2020 में लिये गये निर्णयानुसार मण्डल में भी नवीन फार्मूले से निर्धारित की गई MBP से अधिक बोली की दर आने पर उस नीलामी को अस्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया एवं भविष्य में न्यूनतम बोली दर से अधिक बोली प्राप्त होने पर गुण अवगुण के आधार पर बोली स्वीकृत की जावे एवं आदेश क्रमांक सी.आर.ओ./राआमं./2019-20/पी.एस.एफ.ए.-202 दिनांक 31.01.2020 के अंत में लिखें गये "उपरोक्तानुसार प्राप्त बिड़ों को वाणिज्यिक भूखण्डों की आरक्षित दर + 15 प्रतिशत स्थानीय निकाय को देय राशि प्राप्त होने पर ही बिड स्वीकृति की जायेगी।" को विलोपित किया जाता है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(पवन अरोड़ा)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता-1/11/मु0/सचिव, रा.आ.मं., जयपुर।
- 3- अति.मु.अभियन्ता, ....., रा.आ.मं., जयपुर/जोधपुर।

(2)

- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त- ....., रा.आ.म., ..... ।
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 6- वरिष्ठ लेखाधिकारी-I/II, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड- ....., रा.आ.म., ..... ।
- 8- सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वृत्त- ....., रा.आ.म., ..... ।
- 9- रक्षित पत्रावली ।

  
(रेखा भास्कर)  
वित्तीय सलाहकार